

सहा0 सत्र न्यायाधीश-II, अररिया

S.T.-1300/2011

CIS No.-2932/2013

सरकार द्वारा राम प्रसाद यादव व अन्य

आदेश

08-02-2023

कुल (08) अभियुक्तगण क्रमशः 01. रामप्रसाद यादव 02. मलकु यादव 03. चन्देश्वर यादव 04. कुलदीप यादव 05. प्रदीप यादव 06. टुनटुन यादव 07. कालेश्वर यादव तथा 08. कुसकी यादव अनुपस्थित हैं। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में कुल आठ अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण चल रहा है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा सारी प्रक्रियाएँ पूरी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निकट भविष्य में इनकी उपस्थिति की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। वाद वर्ष-2011 ई0 का काफी पुराना है। ऐसी स्थिति में इस वाद के सभी आठों अभियुक्त क्रमशः 01. रामप्रसाद यादव 02. मलकु यादव 03. चन्देश्वर यादव 04. कुलदीप यादव 05. प्रदीप यादव 06. टुनटुन यादव 07. कालेश्वर यादव तथा 08. कुसकी यादव सभी सा0-मिर्जापुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया को **फरार** घोषित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करे और अभियुक्तगण एवं वाद को फरार पंजी में दर्ज करते हुए निष्पादित अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

(लेखापति)

सहा0 सत्र न्या0 द्वितीय